भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 148

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

औद्योगिक गलियारा/संकुल

148. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए औद्योगिक गलियारा या संकुल विकसित करने की योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संकुल विकसित करने के लिए उद्यमियों हेतु क्या नीतियां और योजनाएं उपलब्ध हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कौन-से विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) चलाए गए और उनके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) कर्नाटक में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वीडीपीएस के अंतर्गत की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपने बाजार आधार का विस्तार करने के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : कलस्टर विकास के लिए एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यम - कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा कलस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना में राज्य सरकारों के औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं/फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सों की स्थापना/उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है। एमएसई-सीडीपी मांग आधारित योजना है जिसमें वित्तीय सहायता भारत सरकार के अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

(ख) : एमएसएमई मंत्रालय पीपीपी मॉडल के तहत कलस्टर विकास करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान एमएसएमई मंत्रालय की खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना के तहत आयोजित किए गए राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय वेंडर विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	राज्य स्तरीय वेंडर विकास कार्यक्रमों (एसवीडीपी) की संख्या	राष्ट्र स्तरीय वेंडर विकास कार्यक्रमों (एनवीडीपी) की संख्या
2019-20	48	10
2020-21	--	--
2021-22	--	01
2022-23 (3 तिमाही तक)	--	10

आउटकम:- वेंडर विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) ने सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने में एमएसई को लाभान्वित किया है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई द्वारा समग्र खरीद का विवरण सार्वजनिक खरीद नीति निगरानी पोर्टल : https://sambandh.msme.gov.in/PPP_Index.aspx पर उपलब्ध है।

(घ) : सीपीएसई द्वारा की जाने वाली खरीद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की सहभागिता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2019-20 से सीपीएसई द्वारा आयोजित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए 1,859 वेंडर विकास कार्यक्रमों सहित कुल 11,309 वेंडर विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वित्त वर्ष**	**सामान्य वर्ग के एमएसई के लिए वीडीपी की संख्या**	**अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए वीडीपी की संख्या**
1.	2019-20	2,280	472
2.	2020-21	2,517	503
3.	2021-22	2,527	506
4.	2022-23 (30.01.2023 तक)	2,126	378
	कुल	**9,450**	**1,859**

(सूचना का स्रोत: एमएसएमई मंत्रालय का संबंध पोर्टल)

(ङ) : एमएसएमई मंत्रालय की खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं की विपणीयता को बढ़ाने में सहायता करती है। यह योजना एमएसएमई को लाभ प्रदान करने हेतु नए बाजारों तक पहुंच के लिए पहलें की हैं, जैसे:

i. पूरे देश में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि का आयोजन/प्रतिभागिता।

ii. विपणन में पैकेजिंग के महत्व/प्रणालियों/प्रक्रियाओ, नवीनतम पैकेजिंग तकनीकों, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जेम पोर्टल, एमएसएमई कनक्लेव, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम विकास एवं बाजार पहुंच विकास से संबंधित अन्य विषय/प्रसंग आदि के बारे में एमएसएमई का जागरूकता सृजन करना और शिक्षित करना।

iii. सरकारी खरीददारों से आवश्यक/मांग के अनुसार सभी खरीद को सुलभ ऑन-लाइन पहुंच प्रदान करने के लिए एक ऑन-लाइन पोर्टल सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) उपलब्ध है। यह पोर्टल एमएसएमई सहित सभी वेंडरों के लिए उपलब्ध है। जेम प्लेटफॉर्म पर अधिकतम संख्या में एमएसई को जोड़ने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और जेम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सार्वजनिक खरीद नीति का लाभ उठाने के लिए सभी यूएएम धारकों को जेम पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने हेतु बल्क मेल भेजे गए थे।

*****